

13

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 07/प्र0अ0(भवन)/जोन-1/2014-15 दिनांक 24/05/2016







### अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में जिस पर समूह आवासा मानचित्र (With F.A.R) स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार का किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई अंतर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मितिकयत या रदागित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री लवकुश केसरवानी पुत्र स्वः दक्खी लाल केसरवानी एवं श्री जमेश चन्द केसरवानी पुत्र स्वः लजचन्द केसरवानी द्वारा पार्ट ऑफ फ्री होल्ड भूखण्ड संख्या--U सिविल स्टेशन, बंगला नं०-13 गया 11 पुराना एलमारटन रोड (ताशकन्द मार्ग) परगना व तहसील-सदर, जिला इलाहाबाद के जोन संख्या (1) के अन्तर्गत सनूह आवास (With F.A.R) भवन के निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष मज्जोमय के स्वीकृति/निर्गमन आदेश दिनांक 06-12-2015 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है :

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15(1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, गवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उक्त विधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णतः प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तितम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णतः प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 12 वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षों को हरा-गरा रखने का दायित्व आवेदक/रेजीडेन्ट टेलिफोन सोसायटी का होगा।
5. रेन्वाटर तारविस्तरण का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण करके नू-गंग जल विभाग से अनुमति प्राप्त करके अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
6. स्थल पर रागस्त आन्तरिक विकास कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् ही आन्तरिक विकास व्यय के साक्ष्य जमा दूँक मारुन्टी आवनुप्रा की जायेगी।
7. सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम की स्थापना टैरेस पर आवश्यक रूप से की जायेगी।
8. उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट 2010 एवं रूल्स 2011 का उक्त अधिनियम पालन करना होगा।
9. राष्ट्रहित में ऊर्जा के संरक्षण हेतु यह अपेक्षा है कि परिसर की स्ट्रीट लाइट कॉमन स्केम को सोलर पैनल द्वारा प्रज्वलित किया जाय।
10. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 2015/8383/इला0/82/सीएफओ दिनांक 20.04.2016 में अंकित प्रतिबन्धों का अवसर अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)





**DOOR, WINDOW DETAIL**

- DOOR D1 1050x2585
- DOOR D2 900x2585
- DOOR D3 750x2585
- WINDOW W1 1500x2285
- WINDOW W2 1200x2285
- WINDOW W3 600x2285
- WINDOW W4 1200x1600
- WINDOW W5 600x1600
- WINDOW W6 900x2285
- VENTILATOR V1 900x485



यह मानचित्र महायोजना - 2021  
एव मवन उपविधि 2012 के  
प्राविधानों के अन्तर्गत है।

SHEET No.22

PROPOSED AFFORDABLE GROUP HOUSING PLAN ON  
PLOT NO-U CIVIL STATION, ALLAHABAD,  
WHICH IS ALSO A PLOT PORTION OF BUNGALOW NO.- 11,  
EDMONSTON ROAD (TASHKANT MARG) PRESENTLY NUMBERED AS  
13/11, TASHKANT MARG, ALLAHABAD.

*Signature*

PROJECT  
NO. 100/2019/2019  
2 Arm. (2nd Method) C.O.A.  
Regd. No. CA 9716/2019  
SINGH & ASSOCIATES